कायोलय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनं दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जनवरी 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं **लाईसेन्स की शर्तें :–**

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक–पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16X8 फीट साईज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर पूववर्ती वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16X8 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए पांच हजार रूपये तथा प्रत्येक 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 15,000/– रू. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनीपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16X8 फीट के तथा 30X15 फीट साईज के यूनिपोल साइटों का (01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015) तक के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष 16X8 फीट साईज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों हेतु का नवीनीकरण (01 फरवरी 2015 से 31 जनवरी 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नही होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नही किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जावेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जावेगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
9. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर यूनिपोल नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।

12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।

13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।

14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।

16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।

18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।

20. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।

21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम–2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।

22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।

23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।

24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।

25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

27. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।

28. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ट्राईऐंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जनवरी 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं **लाईसेन्स की शर्तें :–**

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/– रू. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. नीलामी के पश्चात् एकजाई साईट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात 60 दिवस में नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनो तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घडी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

10. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

11. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम ड्राईंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।

13. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।

14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।

15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।

17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।

19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।

21. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।

22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम–2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।

23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।

24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।

25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।

26. अगर कोई ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

28. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।

29. सभी ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
विद्याधर नगर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	VDZ- 03	16' X 8'	झोटवाडा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ- 10	16' X 8'	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुए।	
3.	VDZ-14	16' X 8'	विद्याधर नगर निर्माण विहार सै. 3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिणी–पश्चिमी ओर	
4.	VDZ-15	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	VDZ-22	16' X 8'	विद्याधर नगर, उपरोक्त तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.नं. 2	
6.	VDZ-26	16'X8'	विद्याधर नगर, नया खेडा के पास खण्डेलवाल टावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैटर्स के पास दक्षिणी–पूर्वी कोने पर ।	
7.	VDZ-27	16'X8'	अम्बाबाडी सर्किल पर उत्तरी पूर्वी कोने पर ।	
8.	VDZ-37	16'X8'	विद्याधर नगर, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने फ्लेट्स की दीवार के पास।	
9.	VDZ-39	16'X8'	विद्याधर नगर, पुराने विद्याधर सर्किल पर पश्चिमी उत्तरी कोने पर।	
10.	VDZ-40	16'X8'	पानीपेच तिराहे पर बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती के पास झोटवाड़ा देखते हुए।	
11.	VDZ-47	16' X 8'	झोटवाडा रोड, चांदपोल श्मशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
12.	VDZ-50	30' X 15'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी–पोईंट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
13.	VDZ-57	30' X 15'	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानान्तर कांवटिया सर्किल देखते हुए।	NEW
14.	VDZ-58	30' X 15'	चिंकारा कैन्टीन के सामने साईट संख्या VDZ-45 के पास चिंकारा कैंटीन की ओर सर्किल देखते हुए।	NEW
15.	VDZ-59	30' X 15'	क्लैक्ट्री सर्किल, अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सांगानेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-40	16'X8'	टोंक रोड, हल्दीघाटी चौराहा से पहले पश्चिमी ओर, टोंक रोड़ देखते हुए।	
2.	SNZ-42	16' X 8'	टोंक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
3.	SNZ-44	16' X 8'	टोंक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के दक्षिण कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.नं. 1	
4.	SNZ -53	16' X 8'	टोंक रोड़ सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपा थ पर पुलिया देखते हुए।	
5.	SNZ -54	16' X 8'	टोंक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी–दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	
6.	SNZ -57	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पूर्वी ओर RIICO रेल्वें लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास	
7.	SNZ -58	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पश्चिम ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास	
8.	SNZ -59	30' X 15'	टोंक रोड़ सीतापुरा ROB के पास, पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ।	NEW
9.	SNZ -60	30' X 15'	टोंक रोड़ सीतापुरा ROB के पास, दक्षिणी–पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टोंक रोड़ देखता हुआ।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
मानसरोवर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MSZ-03	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थडी देखते हुए।	
2.	MSZ-08	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहे पर ही दक्षिण पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए ।	
3.	MSZ-13	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते वि.प.नं. 2	
4.	MSZ-47	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेल्वें बाउण्डरी वॉल के पास, बजरी मण्डी।	
5.	MSZ-48	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के उत्तरी ओर रेल्वें बाउण्डरी वॉल के पास।	
6.	MSZ-50	30' X 15'	महारानी फार्म, गायत्री नगर जाने वाली रोड़ के सामने फुटपाथ पर।	NEW
7.	MSZ-52	30' X 15'	टोंक रोड़, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
8.	MSZ-59	30' X 15'	आश्रम मार्ग जवाहर सर्किल आश्रम मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर।	
9.	MSZ-60	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रमिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर, जय गुरूदेव सत्संग स्थल जाने वाले मार्ग पर एयरपोर्ट देखता हुआ।	
10.	MSZ-61	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रमिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर वेदबिहार कॉलोनी के सामने फार्म हाउस के पास एयरपोर्ट देखता हुआ।	
11.	MSZ-62	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
12.	MSZ-63	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी–दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW

F:\OM PRAKASH MEENA, 04-07-86-YEAR 2013 AUCTION FILE\Jrn. 2013\Sites Dec. 2012- 102 list.doc

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
मोतीडूंगरी जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MDZ-02	16' X 8'	टोंक रोड, अशोक मार्ग, स्लिप लाईन पर एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
2.	MDZ-03	16' X 8'	टोंक रोड, अशोक मार्ग, तिराहा एमजीडी स्कूल की दीवार के पास बने स्लिप लाईन पर साईट सं. MDZ–2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर दीवार के समानान्तर।	
3.	MDZ-05	16' X 8'	टोंक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर, स्लिप लाईन पर वि.प.नं. 2	
4.	MDZ-06	16' X 8'	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर चौराहा देखते हुए।	
5.	MDZ-10	16' X 8'	टोंक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
6.	MDZ-16	16'X8'	टोंक रोड़, नारायण तिराहा, तोतुका भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानांतर वि.प.नं. 3	
7.	MDZ-41	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
8.	MDZ-42	16' X 8'	शांति पथ तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
9.	MDZ-47	16' X 8'	मोतीडूंगरी रोड़, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी–पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
10.	MDZ-59	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर मालवीय नगर की ओर से वि.प.न.1 ।	
11.	MDZ-73	16' X 8'	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पार्लर के सामने रेल्वें दीवार के पास फुटपाथ पर।	NEW
12.	MDZ-75	30' X 15'	बजाज नगर एनक्लेव स्कीम के सामने रेल्वें क्वार्टर के बाहर रेल्वें दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।	NEW
13.	MDZ-77	30' X 15'	गांधी नगर रेल्वे स्टेशन रोड ROB से पश्चिम की ओर रेल्वें कम्पाउण्ड वाल के पास अजमेरी गेट देखते हुए।	
14.	MDZ-78	16' X 8'	जवाहर नगर सैक्टर–7 के पास बने सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
15.	MDZ-79	30' X 15'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड़, रिलायन्स पैट्रोल पम्प से थोडा आगे मंदिर की दिवार के पास।	
16.	MDZ-81	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, बजाज नगर रोड़ के सामने वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र के बाहर फुटपाथ पर समानान्तर।	NEW
17.	MDZ-83	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेन्ट डॉक्टर हॉस्टल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
18.	MDZ-84	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मुखबधीर स्कूल के दक्षिण गेट के पास।	NEW
19.	MDZ-85	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया के पहले MNIT की दीवार के पास।	NEW
20.	MDZ-86	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, जगतपुरा रेल्वे फाटक रेल्वे दीवार के पास मालवीया नगर देखता हुआ।	NEW
21.	MDZ-87	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, रेल्वे फ्लेट्स के सामने निर्माणाधीन मंगलम् बाजार के कोने पर जगतपुरा देखता हुआ।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2013

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सिविल लाईन जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	CLZ - 12	16' X 8'	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास सहकार भवन देखते हुए।	
2.	CLZ - 41	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गवर्नमेंट प्रेस सर्किल, एम.ई.एस. की दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर।	
3.	CLZ - 52	16' X 8'	सिरसी रोड़, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर वि.प.नं. 3	
4.	CLZ - 60	16' X 8'	वैशाली नगर, क्वींस रोड़, आम्रपाली तिराहे पर मिलेक्ट्री की दीवार के सहारे।	
5.	CLZ - 63	16' X 8'	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क।	
6.	CLZ - 64	16' X 8'	हवा सडक, गीजगढ़ हाउस के सामने सोडाला देखते हुए।	
7.	CLZ - 86	16' X 8'	अशोक मार्ग, सी–स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
8.	CLZ – 91	16'X8'	संसार चन्द्र रोड होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानान्तर।	
9.	CLZ – 96	16'X8'	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक दक्षिणी ओर फुटपाथ पर जय गुरूदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि. प.नं. 1	

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

आमेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	AMZ-01	30' X 15'	आमेर रोड़, शहीद वनकर्मी उधान के सामने, पार्किंग के पास फुटपाथ पर	
2.	AMZ-02	16' X 8'	आमेर रोड़, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3 ।	
3.	AMZ-03	16' X 8'	आमेर, होटल के.के. रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंति रंगमंच की दीवार के पास कुण्डा देखते हुए।	
4.	AMZ-04	16' X 8'	आमेर रोड़, कुण्डा से पहले ज्योति क्लिनीक के पास पूर्व की ओर बने स्लीप लाईन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर ।	
5.	AMZ-08	16' X 8'	आमेर रोड़, होटल होलीडे इन के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुए ।	
6.	AMZ-09	16' X 8'	आमेर रोड़, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहीनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 1	
7.	AMZ-16	30' X 15'	जल महल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास होटल दरबार के पास।	NEW
8.	AMZ-17 NEW HMZ(W)-10 OLD	16' X 8'	आमेर रोड़ कुण्डा ज्योति क्लिनिक के पास।	

हवामहल (पूर्व)

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	HMZ (E)-07	16'X8'	दिल्ली रोड बाईपास, बन्ध की घाटी के पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से उपरोक्त साईट के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 3	
2.	HMZ(E)-18	30' X 15'	आगरा रोड़ कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।	NEW

0.5 [signature]

कार्यालय नगर निगम जयपुर
ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर) की सूची
नीलामी सूची, जनवरी 2013

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।	
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयॅलैण्ड पर।	
4.	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।	
5.	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी–पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
6.	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी–पूर्वी ऑयलैण्ड पर।	
7.	टोंक रोड, ई.पी. चौराहा उत्तरी–पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी–2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।	

04. खम्बो पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान मे रखते हुए इस प्रकार लगाने होगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्जे–खर्चे के लिए लाईसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

05. प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा क्लिप लगाकर खम्बे के दौनो ओर कियोस्क लगाये जा सकेगे। कियोस्क खम्भे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।

06. खम्बो पर कियोस्क बोर्ड विधुत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नही लगाया जावेगा।

07. जिन मार्गो पर खम्बे वर्तमान मे दोनो तरफ लगे हुये है उन मार्गो पर बाद मे खम्बे सडक के बीच मे लग जाते है तो सडक के बीच मे खम्बो पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान मे जहॉ खम्बे सडक के बीच लगे हुये है उन पर ही लाईसेन्सी कियोस्क लगवा सकेगा वहा यदि सडको के दाये ओर बाये ओर खम्बे लगे भी है तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नही होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड़ की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड़ के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।

08. खम्बो पर कियोस्क सडक/डिवाईडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊचा होगा। एक खम्भे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाऐ जा सकते है। लाइसेन्सी खम्बो व कियोस्क को साफ सुथरा रखेगा। तथा निगम की उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियॉ–2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भडकीले तथा आपति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जा–खर्चा लाईसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नही चिपकाया जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।

9. कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि मे अगर किसी प्रकार की कोई दुर्धटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की स्वयं की होगी एंव अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचांई जायेगी। इसमे निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

10. लाईसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बो पर लगाऐगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नही होगा।

11. कियोस्क लाईसेन्सी को स्वयं के खर्चे पर लगाने होगे तथा लाईसेन्सी की सम्पति होगी एंव कियोस्क खम्बो पर एकरूपता से लगाने होगें जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाइसेंन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होगें अन्यथा हटाने का खर्चा लाईसेंसी से अमानता में से वसूला जावेगा ।

12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 100000/– अक्षरे (एक लाख रूपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी । यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी ।

13. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर फर्म को कियोस्क (बिजली के खम्भों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी । आगामी वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।

14. शर्तो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होगें, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियॉ–2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।

15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

16. अगर राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञापन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई कर लगाया जाता है तो लाईसेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा जोकि शुल्क के साथ ही जमा करना होगा इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।

17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।

18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड़ एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़चन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्चे पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड़ (पुर्नभरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेंसधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : जनवरी 2013

नगर निगम के सीमा क्षेत्र मे विभिन्न मार्गो पर समस्त बिजली के खम्बो पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाईसेन्स की जोन बार **नीलामी की शर्ते** निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार की जावेगी।

1. लाइसेन्स की अवधि :– विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेंसधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
2. क्षेत्र :– कियोस्क की नीलामी निगम के सात जोनो के लिए पृथक–पृथक होगी इसमे क्षेत्रो का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर मे किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नही लगाया जा सकेगा। जोनो के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:–

आमेर जोन :–

जोरावर सिंह गेट से आमेर रोड कुण्डा बाईपास तक एवं जलमहल चौराहे से पुरानी चूँगी तिराहे, बन्ध की घाटी होते हुए, दिल्ली बाईपास रोड़ कुण्डा तक का भाग शामिल है ।

हवामहल जोन (पूर्व):–

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एंव परकोटे के अन्दर के भागो को छोडते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूँगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है ।

विद्याधर नगर जोन:–

चांदपोल गेट से उत्तर की ओर परकोटे के बाहर का क्षेत्र जिसमे नाहरी का नाका सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुलिस अकादमी का क्षेत्र चांदपोल गेट बाहर से स्टेशन रोड को शामिल करते हुए, रेलवे स्टेशन का उत्तरी भाग जिसमे बनीपार्क बडोदिया बस्ती झोटवाडा रोड शामिल है। रेलवे स्टेशन से अजमेर की और रेलवे पर निगम सीमा तक उत्तरी ओर का भाग जिसमे झोटवाडा सीकर रोड, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, अम्बाबाडी क्षेत्र शामिल है।

सिविल लाईन जोन:–

अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर सवाई रामसिह रोड टोक रोड, गोपालपुरा रोड चौराहे तक का भाग छोडते हुए इसका पश्चिम का भाग जिसमे सी–स्कीम, भवानीसिंह रोड, लालकोठी योजना, बाईस गोदाम सहकार मार्ग, सिविल लाईन का क्षेत्र जिसमे एम.आई रोड, संसार चन्द्र रोड, सरदार पटेल मार्ग अजमेरी गेट रोड शामिल है, चांदपोल गेट के बाहर पश्चिम की ओर स्टेशन रोड को छोडते हुए स्टेशन तक दक्षिण का भाग रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर, जाने वाली रेलवे लाईन पर निगम सीमा तक इसके दक्षिण का भाग जिसमे सोडाला, खातीपुरा वैशाली, हसनपुरा का क्षेत्र शामिल है। अजमेर मैन रोड़ शामिल है (सोड़ाला तिराहा न्यू सांगानेर रोड से किंग्स रोड तक का दक्षिणी भाग शामिल नहीं है) ।

मोतीडूंगरी जोन:–

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम. आई. रोड शामिल करते हुये आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग/घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोडते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमे गोविन्द मार्ग मोतीडूंगरी रोड, जवाहर नगर जनता कॉलोनी आदर्श नगर तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल है, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टोंक रोड टोंक पुलिया शामिल एंव पूर्व का भाग शामिल है टोंक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाईन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है।

सांगानेर जोन:–

न्यू सांगानेर रोड़ मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) की रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए समस्त सांगानेर क्षेत्र एवं टोंक रोड़, तारों की कूट, ई.पी. चौराहे से दक्षिणी भाग से नगर निगम सीमा तक का एरिया एवं जवाहर सर्किल से मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग जिसमें मालवीय नगर डी–ब्लॉक, जगतपुरा पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग का समस्त एरिया शामिल है ।

मानसरोवर जोन:–

टोंक रोड़ तारों की कूट ई.पी. चौराहे का उत्तरी भाग से जवाहर सर्किल होते हुए मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) से टोंक फाटक पुलिया (आर.ओ.बी.) तक रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग टोंक रोड़ होते हुये गोपालपुरा बाईपास रोड़ धर्मकांटा तिराहे तक एवं न्यू सांगानेर रोड़ मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) तक मानसरोवर का समस्त एरिया एवं दुर्गापुरा का समस्त एरिया शामिल है उक्त के अलावा वसुन्धरा कॉलोनी का एरिया एवं अजमेर रोड (मेन रोड को छोड़ते हुए) न्यू सांगानेर सोड़ाला तिराहे से किंग्स रोड़ को शामिल करते हुए गोपालपुरा बाईपास तक का दक्षिणी भाग का समस्त एरिया एवं वार्ड नं. 29 की दक्षिणी सीमा तक भी शामिल है ।

03. निम्न स्थानो पर कियोस्क बोर्ड नही लगाए जा सकेगे।
   - (क) सर्किल के चारो ओर एंव बीच मे लगे खम्बो पर ।
   - (ख) पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र मे लगे खम्भो पर।
   - (ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड़ (जनपथ रोड) पांचबत्ती से विधान सभा तक जे.एल.एन. रोड इत्यादि एंव सहकार सर्किल, बाईस गोदाम पुलिया से बाईस गोदाम सर्किल तक।